न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

239

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4003-तीन/13 एवं निगरानी प्रकरण क्रमांक 4171-तीन/13 विरूध्द आदेश दिनांक 14/8/2013 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के क्रमश: प्रकरण क्रमांक 1287 एवं 1284/अपील/11-12.

1 रमेश प्रताप सिंह तनय श्री स्व0 बद्री सिंह
उम्र 65 वर्ष पेशा पेशंनर निवासी ग्राम करारी तहसील
मनगवा जिला रीवा म0 प्र0

2 यादवेन्द्र सिंह तनय श्री स्व0 बद्रीसिंह उम्र 45 वर्ष
पेशा नौकरी निवासी ग्राम करारी तहसील
मनगवा जिला रीवा म0 प्र0

- आवेदकगण

- विरूध्द -

1 धनराशि सिंह तनय श्री रूव्द प्रताप सिंह उम्र 30 वर्ष
पेशा खेती निवासी ग्राम करारी तहसील
मनगवा जिला रीवा म0 प्र0

2 नीलेश प्रताप सिंह तनय राजीव लोचन सिंह उम्र 32 वर्ष
पेशा प्राइवेट नौकरी निवासी ग्राम करारी तहसील
मनगवा जिला रीवा म0 प्र0

3 राजीव लोचन सिंह तनय स्व0 बद्री सिंह उम्र 50 वर्ष
पेशा खेती निवासी ग्राम करारी तहसील
मनगवा जिला रीवा म0 प्र0

4 रूव्द प्रताप सिंह तनय स्व0 बद्री सिंह उम्र 52 वर्ष
पेशा खेती निवासी ग्राम करारी तहसील

मनगवा जिला रीवा म0 प्र0

5 चौहार्जा सिंह तनय स्व0 हरिनन्दन सिंह उम्र 70 वर्ष
पेशा खेती निवासी ग्राम करारी तहसील
मनगवा जिला रीवा म0 प्र0

- अनावेदकगण

श्री सूर्यनाथ पाण्डेय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामजीत तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

आ दे श
(आज दिनांक 31/3/2016 को पारित)

१. ये निगरानियां प्रकरण क्रमांक 4003-तीन/13 एवं निगरानी प्रकरण क्रमांक 4171-तीन/13 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के क्रमशः प्रकरण क्रमांक 1287 एवं 1284/अपील/11-12. में पारित आदेश दि 14-8-2013 के विरुद्ध संस्थित हुई हैं.

२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

वाद मूल पुरुष हरिनंदन की सम्पत्ती के अंशों से सम्बंधित है.

दोनों आवेदक, रमेश और यादवेन्द्र, हरिनंदन के पुत्र बद्री के (चार में से) दो पुत्र हैं.

वाद बद्री के दो बे-औलाद भाइयों द्वारा बद्री के दो अन्य पुत्रों (दोनों आवेदकों के अतिरिक्त दो पुत्रों) के पुत्रों के हित में [दरियाव द्वारा बद्री के पुत्र राजीव के पुत्र नीलेश के हित में, और अभिराज द्वारा बद्री के पुत्र रूद्र के पुत्र धनराशी के हित में] वसीयतों के आधार पर नामांतरण हो सकने या नहीं हो सकने को लेकर है.

उक्त दोनों वसीयतों के आधार पर प्रचलित नामांतरण प्रक्रियाओं के दौरान, आवेदकों के हित में वरिसाना-नामांतरण नामांतरण-पंजियों पर नायब तहसीलदार द्वारा (दि १५-९-१० एवं दि २४-८-११ को) प्रमाणित किये जाने पर, वसीयतग्राहीताओं नीलेश और धनराशी ने अनु. अधि.-मनगवां के समक्ष अपीलें (क्रमांक ५९/अ-६/१०-११ एवं ७८/अ-६/११-१२) प्रस्तुत कीं, जिनमें अनु अधि ने संयुक्त आदेश दि ३१-७-१२ पारित कर उक्त वरिसाना नामांतरण निरस्त करते हुए और उक्त वसीयतों के आधार पर नामांतरण स्वीकृत करते हुए, अपीलें स्वीकार कीं. इसके विरुद्ध आवेदकों ने अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपीलें कीं, जो आक्षेपित आदेशों से निरस्त हुई, जिनके विरुद्ध रा मं में यह निगरानियां दायर हुई हैं.

३] प्रकरणों में दोनों पक्षों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गए.

आवेदक पक्ष के तर्क हैं कि (एक) वसीयत के साक्षियों आदि के परीक्षण के आधार पर उनका प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, अपर आयुक्त ने वसीयतग्राहीताओं और साक्षियों के कथनों के आधार पर वसीयतों को प्रमाणित माना है जबकि वसीयतग्राहीताओं का प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ और वे स्वयं हितग्राही थे जिस वजह से उनका साक्षिक मूल्य नहीं था [२०१४(१) जेएलजे पृष्ठ ३१९; ११९७ रा नि १४७; १९९७(२) विधि भास्कर १९९] (दो) वसीयतों में आवेदकों को लाभ से क्यों वंचित किया गया है, स्पष्ट नहीं है, (तीन) दरियाव के वसीयतनामे में उनका अंगूठा निशान है जबकि वह हस्ताक्षर करते थे, यह वसीयतनामा किसके द्वारा मुद्रित है नहीं लिखा होने और इस पर तारीख नोटरी द्वारा डाली गई होने की वजहों से यह वसीयतनामा संदिग्ध है, और (चार) अभिराज की वसीयत दि ७-११-०८ में भी आवेदकों को लाभ नहीं दिए जाने के कारण स्पष्ट नहीं हैं.

अनावेदक पक्ष के तर्क हैं कि (एक) हरिनंदन की भूमियाँ उसके पुत्रों के नाम संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज रहीं, (दो) वसियतकर्ताओं के मृत्यु के बाद वसीयतों के आधार नामांतरण कराना वसियातग्रहीताओं का अधिकार है, (तीन) वसीयतग्रहीता वसीयतकर्ताओं के जीवनकाल से ही उनके साथ निवासरत होकर उनके हिस्से की भूमियों पर काबिज़ थे, जिसकी जानकारी आवेदकों को थी, और उक्त वसीयतों की जानकारी भी आवेदकों को थी, इसके बावजूद वसीयतों के आधार पर नामांतरण

प्रकरण विचाराधीन होने के दौरान आवेदकों द्वारा वारिसाना नामांतरण कराया जाना अनुचित था, (चार) अविवादित नामांतरण के अधिकार ग्राम पंचायतों को होने के बावजूद, आवेदकों द्वारा नायब तहसीलदार से वारिसाना नामांतरण इसलिए प्रमाणित कराया गया क्योंकि उन्हें पता था कि सरपंच को उक्त वसीयतों की जानकारी पहले से ही होने के कारण ग्राम पंचायत उक्त वारिसाना नामांतरण नहीं करेगी, और (पांच) नायब तहसीलदार ने वसीयतों के आधार पर नामांतरण प्रकरण लंबित होने के बावजूद वारिसाना नामांतरण आवेदकों से मिलीभगत होने के कारण प्रमाणित किये.

४] प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में और अभिलेखों के परिशीलन के आधार पर मैं निम्न बिंदु प्रकरण में प्रमुखता से टीप एवं विचार योग्य पाता हूँ:

(क) वारिसाना नामांतरणों का प्रमाणीकरण दि १५-९-१० एवं दि २८-४-११ को किया गया. वसीयत के आधार पर उक्त दोनों प्रकरण उसी तहसील में इन दिनाकों को लंबित थे, क्योंकि दरियाव की वसीयत का प्रकरण दि ३१-१-०८ को संस्थित हुआ था और उसकी अंतिम आदेश पत्रिका ९-११-११ की लिखी है जिसमे पटवारी की रिपोर्ट ली जाने का लेख है, तथा अभिराज की वसीयत का प्रकरण दि २९-९-१० को संस्थित हुआ और उसकी अंतिम आदेश पत्रिका २८-३-११ की है जिसमे पटवारी की रिपोर्ट ली जाने का लेख है और अगली पेशी १३-४-११ हेतु नियत है.

(ख) नामांतरण पंजियों पर प्रमाणित दोनों वारिसाना नामांतरणों में यह तो लिखा है कि इश्तेहार जारी हुए हैं किन्तु इश्तेहार साथ में अवलोकनीय नहीं हैं जिससे यह माना जाए कि वे जारी हुए थे. ना ही सजरा खानदान के समस्त व्यक्तियों को नोटिस तामीली या किसी भी माध्यम से सुनवाई का अवसर दिया जाने का कोई प्रमाण साथ अवस्थित है.

(ग) दरियाव की वसीयत के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में वसीयत के साक्षी दर्शन सिंह, वसीयतग्रहीता के साक्षी समरबहादुर, वसीयतग्रहीता नीलेश, और अभिभाषक एवं नोटरी चन्द्रप्रताप के बयान हैं, किन्तु किसी का भी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है. वसीयतकर्ता के विधिक वारिसों (उसके भाइयों और उनके वारिसों)

को सूचनापत्र जारी कर पक्ष समर्थन के अवसर तहसील में नहीं दिए गए हैं. अपीलीय न्यायालयों में साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही नहीं हुई है. वसीयतकर्ता के अंगूठा निशान का सत्यापन भी न्यायालय में नहीं किया गया है. दरियाव की वसीयत के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर पहचानकर्ता सतीश शुक्ल लिखा है और नोटरी का नाम चन्द्रप्रकाश है, इस बिंदु पर भी कि वसीयतकर्ता के अंगूठा निशान/ हस्ताक्षर की पहचान सतीश शुक्ल ने की थी या नोटरी चन्द्रप्रकाश ने, पर भी स्पष्टता नहीं लाई गई है. आवेदकों का यह कहना कि दरियाव हस्ताक्षर करते थे, अंगूठा निशान नहीं लगाते थे, पर भी कहीं जाँच, विवेचना या निष्कर्ष नहीं देखे जा सकते.

(घ) अभिराजसिंह की वसीयत के प्रमाणीकरण हेतु वसीयत के साक्षी राजीवलोचन और शीलध्वज, तथा वसीयतग्रहीता धनराशी के बयान लिए गए है, किन्तु उनके प्रतिपरीक्षण नहीं हैं. यहाँ भी वसीयतकर्ता के विधिक वारिसों (उसके भाइयों और उनके वारिसों) को सूचनापत्र जारी कर पक्ष समर्थन के अवसर तहसील में नहीं दिए गए हैं और अपीलीय न्यायालयों में भी साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही नहीं हुई है. वसीयतकर्ता के अंगूठा निशान का सत्यापन भी किसी न्यायालय में नहीं किया गया है. अभिराज की वसीयत के अंत में लिखा है कि वसीयत आमजीत तिवारी के निर्देशन में टंकित की गई है, किन्तु उनका भी साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है.

५] उपरोक्त बिन्दुओं और विवेचना के प्रकाश में मैं दोनों प्रकरणों में ना तो वारिसाना नामांतरण और ना वसीयत आधारित नामांतरण की कार्यवाहियों को समुचित रूप से सही और समाधानकारक पाता हूँ. अतः, मैं तहसील के वारिसाना नामांतरणों दि १५-९-१० तथा दि २८-४-११ के साथ साथ अनु अधि के आदेश दि ३१-७-१२ और अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेशों दि १४-८-१३ को भी एतदद्वारा निरस्त करता हूँ.

इसी के साथ मैं तहसीलदार मनगवां को यह निर्देश देता हूँ की वे अपने न्यायालय के अभिराज और दरियाव की वसीयतों से सम्बंधित प्र क्र २०/अ-६/१०-११ और ४५/अ-६/०७-०८ खोलें, और उनमें उभय पक्ष के समस्त हितबद्ध पक्षकारों और स्व.

हरिनंदन सिंह के समस्त जीवित बालिग़ विधिक वारिसों को विधिवत सूचना और पक्ष समर्थन, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि के पूर्ण अवसर देते हुए, स्पष्टतापूर्वक बोलते स्वरुप में निष्कर्ष (प्रत्येक वसीयत के सम्बन्ध में अलग-अलग) निकालें कि उक्त वसीयतों के आधारों पर नामांतरण होने चाहियें या उनके एवज में वारिसाना नामांतरण होने चाहियें. ऐसा करते हुए तहसीलदार इन दोनों प्रकरणों में नए सिरे से बोलते स्वरुप के आदेश, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम ६ माह के भीतर, पारित करें.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं तहसीलदार, मनगवां सूचित हों.

प्रकरण समाप्त. दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर